

□□□□□□ □□□□□

जनसत्ता 26 अप्रैल, 2014 : मान्यवर, मुख्य चुनाव आयुक्त, मैं आपका और चुनाव आयोग का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है। लेकिन यह पहला चुनाव है जो भाषाई हिसा, वक्तव्यों से भरा हुआ है। बं नेता तक इससे बचे नहीं हैं। अपने भाषणों को प्रभावी बनाने के लिए अपने वरिधियों का नामकरण के 49, पाकिस्तानी जेंट जैसे हसिक शब्दों से करते हैं। आयोग सहमत होगा कि ये ऐसे शब्द हैं जो उनके समर्थकों के हिसा के लिए प्रेरित करते हैं। दो पार्टियों के नेताओं में, चुनाव से असंबद्ध सांड जैसे शब्द को लेकर घमासान युद्ध चालू हो गया। मैं समझता हूँ कि आयोग में जरूर ऐसा सेल (प्रक्षेप) होगा जो इन नेताओं की आक्रामक और असंसदीय शब्दावली का बारीकी से विश्लेषण करता होगा।

आम आदमी की हैसियत से, मेरा मानना है कि आयोग की सबसे बड़ी जम्मेदारी संसार के सबसे बड़े जनतंत्र के चुनाव सुचारूप से कराने की है। मैंने 16 अप्रैल के जनसत्ता में यह लिखा था। मुझे यह मालूम नहीं कि प्रत्याशियों और पार्टियों के नेताओं (जिनमें सुरक्षा में वाई, जेड सुरक्षा प्राप्त नहीं है) की सुरक्षा आयोग की जम्मेदारी है या नहीं। अगर है, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक पर ही बार-बार हमले क्यों हो रहे हैं; इसके लिए कौन जम्मेदार है? यह हिसा है। अपरभाषित हिसा नेताओं द्वारा, खासतौर से प्रस्तावित प्रधानमंत्री के मुंह से प्रयुक्त ऐसे शब्द हैं जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है। कपूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुए इस हिसात्मक दुरव्यवहार का आयोग के स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। या नहीं, यह तो मान्य आयोग ही तय करेगा।

आप के संयोजक और उनके साथियों के साथ आक्रामकता संभवतः उनकी गुजरात यात्रा के बाद से शुरू हुई थी। पहली बार दुर्घटना भी संभवतः तभी हुई थी। हो सकता है वह दुर्घटना ही हो। दूसरी घटना चकित करने वाली है। आचार-व्यवहार के हिसाब से अगर कपूर्व मुख्यमंत्री किसी पदासीन मुख्यमंत्री से भेंट करने का समय मांगे तो क्या उसे समय न देकर पुलिस से दूर ही रुकना देना चाहिए? यह ऐसा ही हुआ अगर कोई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने आ। तो उसे द्वार पर ही अपने सुरक्षाकर्मियों से रुकना देना। उससे पहले आप के राष्ट्रीय संयोजक के हवालात ले जाया गया। उसके बाद जब मोदीजी का सामना करने का मन बना कर वे वाराणसी गए। तो रोड शो के समय उन लोगों पर स्याही फेंकी गई। बाद में अंडे फेंके गए।

आक्रमण का क्रम नरंतर जारी है। हरियाणा में आप के प्रत्याशी के चेहरे पर स्याही पोती गई। राष्ट्रीय संयोजक के चपत मारी गई। सरि पर घूंसे मारे गए। आठ मार्च के लाली नाम के किसी ऑटो ड्राइवर ने आप के राष्ट्रीय संयोजक के दिल्ली में रोड शो के समय इतनी जोर से चपत लगाई कि उनका चश्मा टूट गया और चेहरे पर सूजन आ गई। वे मन की शांति के लिए गांधी-समाधि पर घंटे भर बैठे रहे।

देश के बहुत-से लोगों का इस हिसात्मक क्रूरवाई से दिल दहल गया। जबकि भाजपा के प्रवक्ता मल्होत्रा ने इस घटना की नंदा करने के बजाय टीवी चैनल पर इसका समर्थन किया। कांग्रेस के मंत्री सबिबल ने नंदा करते हुए इस घटना को मल्होत्राजी की तरह उनकी गलतियों का नतीजा बताया। प्रकरांतर से वह भी समर्थन ही था। नौ अप्रैल के मनीष पांडे ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि लाली भाजपा का कार्यकर्ता है।

वाराणसी में केजरीवाल पर प्रतिदिन आक्रमण हो रहे हैं। नारे लग रहे हैं केजरीवाल वापस जाओ। क्या यह जनतंत्रात्मक अधिकार का हनन नहीं? पान वाले की दुकान पर, समाचारपत्र के अनुसार, उन्हें और उनके साथियों को घेर कर गाली-गलौज की गई, लकी की टुकड़ी फेंके गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से

केजरीवाल के नक्किले अगले दिन भी ऐसा ही हुआ उनके अस्थायी निवास स्थान को घेरा गया उनके वह स्थान बदलना पड़े वे मानते हैं कि उनकी हत्या भी हो सकती है उसके बावजूद अपने समर्थकों को शांत रहने के लिए कह रहे हैं आप के नेता प्रशांत भूषण की एक चुनाव सभा में टोपी उतार कर उछाली गई आयोग के संज्ञान में आया होगा आयोग से मेरे कुछ सवाल और नविदन हैं

चुनाव के दौरान पूरा देश आयोग की निगरानी में है अतः सामान्य रूप से भी यदि कहीं अव्यवस्था हो तो चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर सकता है विशेष रूप से चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की अव्यवस्था के निराकरण की ज़िम्मेदारी आयोग पर ही होनी चाहिए

किसी भी प्रत्याशी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिसा हो, उसके प्रचार के बाधित किया जा तो स्थानीय चुनाव अधिकारी को उसकी रिपोर्ट आयोग को भेजनी चाहिए अगर नहीं भेजता तो स्वतः आयोग को रिपोर्ट मंगा कर करवाई करके सूचना प्रसारित करनी चाहिए, जो कुछ मामलों में की भी जाती है उपरोक्त प्रत्याशी के संग की ग व्यवहार में अभी तक ऐसा नहीं हुआ जबकि प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी के सर्वोच्च पदाधिकारी है यही हरियाणा से चुनाव ल रहे योगेंद्र यादव और चांदनी चौक से प्रत्याशी आशुतोष के साथ भी हुआ था

पुलिस यदि ऐसी उद्दंडता के आरोप में किसी को गिरफ्तार करती है, उसे जमानत पर छोड़ कर बाद में फाइल बंद कर दी जाती है जनता को लगता है कि आयोग और प्रशासन इस बारे में गंभीर नहीं है उद्दंड लोग प्रोत्साहित होकर अपनी हसिक गत विधि बिना देते हैं

खुफिया विभाग की रिपोर्ट आयोग के पास सीधे भी पहुंचनी चाहिए, उस पर तत्काल करवाई होना जरूरी है

आयोग में यदि भीड़िया में प्रकृति समाचारों और इस तरह की रिपोर्टों की छानबीन करने का कोई प्रकृष्ट है तो उसे सक्रिय किया जाना चाहिए अगर नहीं है तो ऐसे प्रकृष्ट का निरीक्षण किया जाना चाहिए अभी सामान्यतः करवाई दूसरी पार्टी की शकियत पर होती है जबकि किसी तरह की भी आचार संहिता के उल्लंघन का संज्ञान स्वतः आयोग के द्वारा भी लिया जाना चाहिए

आप के संयोजक और प्रत्याशियों पर हसितात्मक आक्रमणों के संदर्भ में यह जरूरी है कि किसी उच्चस्तरीय जांच जैसी से तत्काल जांच करा कर निरीणायक करवाई की जा अगर और भी ऐसे मामले हों उनकी भी जांच की जा

गुजरात में केजरीवाल के पुलिस द्वारा हरिसत में ली जाने पर आप के पदाधिकारियों के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद आप को दोषी माना गया था उसका सकारात्मक असर हुआ था लेकिन गुजरात के प्रशासन से नहीं पूछा गया कि जब सामान्य यात्री को गुजरात में प्रवेश करने पर हरिसत में नहीं लिया जाता तो एक पार्टी के नेता को हरिसत में क्यों लिया गया था

चुनाव में भाग लेने वाली सब पार्टियां समान हों उनमें कुछ पार्टियां आर्थिक रूप से कमजोर हैं सब पार्टियों के प्रचार के स्तर अलग-अलग हैं उदाहरण के लिए, दिल्ली में मैंने स्वयं देखा है कि भाजपा और कांग्रेस के रात में हर चौराहे पर ग्लेज्ड और नयोनलाइटेड ब-ब होर्डिंग लगे हैं यह

मतदाता के मन में समानता का भाव उत्पन्न नहीं करता। लखनऊ और अन्य राजधानियों में भी यही स्थिति है। प्रचार के समान मानक होने चाहिए। अखबारों में सूचना मात्र के लिए क आकर और लंबाई-चौड़ाई के विज्ञापन हों। पूरे-पूरे पृष्ठ के रंग-बरंगे विज्ञापन असमानता पैदा करते हैं।

हो सकता है कि मेरा यह सुझाव लागू करने के लिए नियमों में परिवर्तन करना पड़े। नेताओं को भी इसे मानने में कठिनाई होगी। चुनाव न्यूनतम समय में संपन्न करा जाय। उस दौरान देश भर में राष्ट्रपति शासन लागू हो। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की घोषणा होते ही सामान्य स्थिति स्वतः वापस आ जानी चाहिए। मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आदि सब सरकारी तामझाम से रहित होकर समान स्तर पर प्रचार में भाग लें। सत्ता की हनक चुनाव में हस्तक्षेप करती है। बड़े-छोटे नेता का भेद पैदा करती है। मुझे याद है नेहरू चुनाव प्रचार के लिए रेल से सफर करते थे। डॉ लोहिया आदि विरोधी नेता भी सड़क के रास्ते या रेल से आते-जाते थे। अब छोटे से छोटा नेता हेलिकॉप्टर से आता-जाता है। इसके लिए पूंजीपतियों पर आश्रित हो जाता है और अपनी स्वतंत्रता हमेशा के लिए खो देता है। नृपिपक्ष जनतंत्र के लिए कुछ कठिन परिश्रम आवश्यक है।

पुनश्च: माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त को 21 अप्रैल के पत्र के तारतम्य में ई-मेल की गई। 24 अप्रैल के पत्र में, अस्सी घाट पर चुनाव संबंधी विमर्श में सम्मिलित होने के लिए गीतल्लि के पूर्व मंत्री और आप के वरिष्ठ सदस्य सोमनाथ भारती को भाजपा (समाचारपत्रों के अनुसार) के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटे जाने, उनकी कार तोड़ने और आप के तीन कार्यकर्ताओं को जखमी कर देने के संदर्भ में नविदन किया था कि इससे पहले कि कोई हादसा हो उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया जाना जरूरी है। मैंने ऊपर भी लिखा है कि आखिर कौन सी पार्टी के लोगों को नशाना बना कर उन पर शंखलाबद्ध आक्रमण जनतंत्र के लिए चिंता की बात है। संबंधित पार्टी द्वारा कदम न उठाया जाना, उच्छूलता को बढ़ावा दिया जाना समझा जा सकता है। इसका आरोप आयोग पर भी आया।

आजादी से पहले सड़क पर बेलचा पार्टी और खुदाई खदिमतगार हरे रंग की वर्दी में सड़क पर मार्च करते थे। लोग डर के मारे बच्चों के घरों में छुपि लेते थे। कश्मीर में भगवा क्रांति में शंखनाद के साथ हुए प्रदर्शन को देख कर पता नहीं क्यों आजादी से पहले नक्कलने वाले मार्चों का ध्यान आ गया। चुनाव आयोग के किसी भी प्रकार के भय या आशंका को विराम देने के लिए कमानकतय कर देना चाहिए। सब पार्टियां और उनके प्रत्याशी ऐसे जुलूसों में केवल राष्ट्रीय झंडा और आयोग द्वारा आबंटित चुनाव चिह्न का प्रदर्शन करें। वरना दूसरे लोग भी अपने-अपने रंग और धार्मिक चिह्नों का प्रदर्शन करने लगेंगे।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>